ताजमहल को बचाने के लिए आगरा में औद्योगिक एककों का बन्द किया जाना

7669. **श्री अनन्तराम जायसवाल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा के उद्योगपतियों ने, ताजमहल के बचाव के लिए न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक अपने औद्योगिक एकक अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किये हैं तथा उन्होंने न्यायालय तथा सरकार के विरूद्ध प्रदर्शन करने की धमकी दी है और यह भी धमकी दी है कि 25 अप्रैल, 1994 को किसी भी विदेशी पर्यटक को ताजमहल देखने की अनुमति न दी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे निपटने तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें कोई असुविधा न हो, इसके लिए कोई कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगरा के उद्योगों को अपनी इकाइयां किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने के लिए कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया है। रिट याचिका सं० 13381/84-एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 11.4.1994 के अपने आदेश में माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश दिया कि वह लगातार तीन दिनों तक दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों और दो स्थानीय समाचार-पत्रों में यह बताते हुए सार्वजनिक सूचनाएं जारी करे कि भारतीय उच्चतम न्यायालय फाउन्ड्रीज, पिट फरनेस, रबर सोल रसायन, फ्रेक्टरी ब्रिक, इंजीनियरी और चूना प्रसंस्करण जैसे वायु प्रदूषक उद्योगों को उद्योग-स्वामियों सहित पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात आगरा से ताज समलंब से बाहर चुने जाने वाले उचित स्थान पर स्थानान्तरित करने संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई कर रहा है। आगरा के आसपास के उद्योगपतियों और कामगारों ने माननीय न्यायालय के इस प्रस्ताव के विरोध में आन्दोलन छेड़ दिया। हालांकि, आन्दोलन के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुलिस बन्दोबस्त किया गया था, आन्दोलन-कारियों ने ताज महल पहुंचने वाले किसी पर्यटक को रोकने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

Monitoring the Pollution Level and Quality of Ganga River

7670. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of ENVIRONMENT and FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have been monitoring the pollution level and quality of Ganga at various places, if so, what has been the pollution level of the river at Kanpur, Allahabad, Varanasi and other places down stream during each of the past three years together with the minimum permitted pollution level; and

(b) What steps Government have taken to implement the judgement of the Supreme Court regarding setting up of effluent treatment plants at various points where the discharge of effluents has been obnoxious and the up-to-date progress in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir. The water Qualtiy of river Ganga is being monitored at 20 locations on the main stream of the river, three times a month and at three transectional widths.

The Water Quality in terms of Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Dissolved Oxygen (DO) at Kanpur, Allahabad, Varanasi and downstream stations together with permissible levels for bathing standard is given in the enclosed statement. *(see* below)

(b) The Supreme court is monitoring compliance of its orders through reports of State Pollution Control Boards and also by appointing independent bodies for test checking. Of the 68 gross polluting industries discharging industrial effluent into the river Ganga, identified in 1985 for setting up of effluent treatment plants under Ganga Action Plan, 49 indsutries have set up effluent treatment plants, 16 have closed down and treatment plants